अनुदान संख्या 99 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	29664,89,00	29664,93,00	23179,60,47	-6485,32,53
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6460,68,52
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1,00	5,01,00	23,09	-4,77,91
पूरक	Supplementary	5,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,77,90

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	447960.00	345813.12	343360.11	-2453.01
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-102148.88			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	289144.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-289145.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2194201.00			
पू.	S.	1.00	1952601.72	1952601.70	-0.02
पु.	R.	-241600.28			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	29092.00	16018.37	16018.37	..
पु.	R.	-13073.63			

(I) ₹293535.00 लाख का प्रावधान (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹292627.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹293535.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in November, 2019) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹292627.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(का) मुख्य शीर्ष "2552"

(A) Major Head "2552" -

(क) "समाज कल्याण – बाल कल्याण – अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹212098.00 लाख;

(a) "Social Welfare - Child Welfare - Umbrella ICDS" - ₹212098.00 lakhs;

(ख) "समाज कल्याण – महिला कल्याण – सशक्तिकरण तथा सुरक्षा मिशन" – ₹11875.00 लाख;

(b) "Social Welfare - Women's Welfare - Mission for Protection and Empowerment for Women" - ₹11875.00 lakhs;

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹22200.00 लाख;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Child Welfare" - ₹22200.00 lakhs;

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹42164.00 लाख;

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Social Welfare - Child Welfare" - ₹42164.00 lakhs;

प्रावधान उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" –

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – महिला शक्ति केन्द्र" – ₹3000.00 लाख; और

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Mahila Shakti Kendra" - ₹3000.00 lakhs; and

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – महिला शक्ति केन्द्र" – ₹1290.00 लाख।

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Mahila Shakti Kendra" - ₹1290.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत परामर्शदाताओं को न रखे जाने की वजह से ब्लॉक स्तर पर स्कीम का कार्यान्वयन न होने, कुछ राज्यों से अनुमोदन लंबित होने और बिहार में स्कीम के कार्यान्वयन में विलंब होने, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of scheme at block level owing to non-hiring of consultants, pending approval in some States and delay in implementation of scheme in Bihar, non-receipt of utilisation certificates and availability of unspent balances of previous year.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बाल कल्याण" –

(A) "Child Welfare" -

(क) "अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹62345.36 लाख की बचत (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹237206.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मानदंडों का संशोधन न किए जाने, प्रचार की विषय–वस्तु को अनुमोदन न मिलने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों के अंतिम रूप न दिए जाने, पोषण अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण न किए जाने, सौंपे गए कार्यों से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम उपयोग किए जाने, स्थापना संबंधित खर्चों और आर्थिक उपायों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "स्वायत्त निकायों को समर्थन" – ₹955.41 लाख की बचत (नवंबर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5172.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय केन्द्र, रायपुर में राज्य वित्त आयोग का निष्पादन न होने, प्रशिक्षण/सेमिनारों/कार्यशालाओं के कम आयोजन किए जाने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(खा) "महिला कल्याण – महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन" – ₹46086.64 लाख की बचत (₹78165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने, प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने, एकल खिड़की केन्द्रों की स्थापना में विलंब होने और अन्य कार्यक्रमों के साथ कोब्रांडिंग की वजह से मीडिया को प्रोत्साहन के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने और सौंपे गए कार्यों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कम राशि इस्तेमाल किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों" के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(a) "Umbrella ICDS" - saving of ₹62345.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹237206.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) was due to non-revision of norms of scheme, non-approval of contents of publicity, non-finalisation of procurement proposals, non-conduction of survey under POSHAN Abhiyan, less utilization by the Union Territories towards assigned works and requirement of less funds towards establishment related expenses and economy measures.

(b) "Support to Autonomous Bodies" - saving of ₹955.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5172.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in November, 2019) was due to non-execution of State Finance Commission in Regional Center, Raipur, conduction of less Training/Seminars/Workshops and availability of unspent balances of the previous year.

(B) "Women's Welfare - Mission for Protection and Empowerment for Women" - saving of ₹46086.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹78165.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, receipt of less proposals, delay in setting up one stop centres and requirement of less funds towards promotion in media owing to cobranding with other programmes and less utilisation by the Ministry of Information and Broadcasting towards assigned works.

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं (अम्ब्रेला आईसीडीएस)" – ₹63318.41 लाख की बचत (मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1466720.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणप्रत्रों की प्राप्ति ने होने, पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने, प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, कम अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन" – ₹25093.20 लाख की बचत (₹33231.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति नहीं होने और कम मांग की वजह से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "आंगनबाड़ी सेवाएं" – ₹116489.82 लाख की बचत (₹498787.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ख) "किशोरियों के लिए स्कीम" – ₹4152.28 लाख की बचत (₹5600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "किशोरियों के लिए स्कीम" – ₹750.43 लाख की बचत (₹2380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत स्कीम के अन्तर्गत लाभर्थियों की कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Integrated Child Development Services (Umbrella ICDS)" - saving of ₹63318.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1466720.00 lakhs including token supplementary of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) was due to non-receipt of utilisation certificates, availability of unspent balances of previous year, less receipt of proposals, finalization of less procurement proposals and reduction in number of beneficiaries under the scheme.

(b) "Mission for Protection and Empowerment for Women" - saving of ₹25093.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33231.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates and receipt of less proposals owing to less demand.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Aanganwadi Services" - saving of ₹116489.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹498787.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and availability of unspent balances of previous year.

(b) "Scheme for Adolescent Girls" - saving of ₹4152.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Scheme for Adolescent Girls" - saving of ₹750.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2380.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of beneficiaries under the scheme.

(ख) "आंगनबाड़ी सेवाएं" – ₹27506.16 लाख की बचत (₹183194.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों" के अन्तर्गत बचतें निम्लिलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – आंगनबाड़ी सेवाएं" – ₹670.70 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुईं।

(खा) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "एकीकृत बाल विकास स्कीम (अम्ब्रेला आईसीडीएस)" – ₹6724.94 लाख की बचत (₹19753.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मानदंडों का संशोधन न किए जाने, कम मांगों के होने, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ख) "महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन" – ₹5377.61 लाख की बचत (₹5439.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में) "निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य स्कीम" के लिए मंत्रालयों / विभागों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने, उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने और कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4501.98 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत नवम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(b) "Anganwadi Services" - saving of ₹27506.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹183194.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Anganwadi Services" - saving of ₹670.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous year.

(B) "Central Assistance/Share" -

(a) "Integrated Child Development Services (Umbrella ICDS)" - saving of ₹6724.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19753.00 lakhs) was due to non revision of norms of the scheme, less demands, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balances of previous year.

(b) "Mission for Protection and Empowerment for Women" - saving of ₹5377.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5439.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Ministry/Department for "Other Schemes funded from Nirbhaya Fund", non-receipt of utilization certificates and receipt of less proposals.

2. The above savings were partly (₹4501.98 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under "Major Head 2235" - "Social Welfare" - under the following heads:

(I) "महिला कल्याण – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹1075.46 लाख

(II) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹1546.51 लाख।

(III) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹1880.01 लाख

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹477.91 लाख) नवम्बर, 2019 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान का 96 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 95 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं:–

(I) "Women's Welfare - Support to Autonomous Bodies" - ₹1075.46 lakhs.

(II) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Umbrella ICDS" - ₹1546.51 lakhs.

(III) "Tribal Area Sub-Plan - Umbrella ICDS" - ₹1880.01 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall saving (₹477.91 lakhs) constituted 96 percent of the supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in November, 2019 and 95 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	1.00			
पू.	S.	500.00	23.10	23.09	-0.01
पु.	R.	-477.90			

(I) "समाज कल्याण – बाल कल्याण – पोषण में एकीकृत शिक्षा" के अंतर्गत ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹501.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹477.91 लाख की सीमा तक निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों के अंतिम रूप न दिए जाने और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपकरणों के इंस्टालेशन/परिचालन नहीं किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Social Welfare - Child Welfare - Integrated Education in Nutrition" - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹501.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹477.91 lakhs - due to slow pace of construction activities, non-finalisation of procurement proposals and non-installation/operational of equipments for food testing laboratories.